न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 5/2019 प्रार्थनापत्र

सांवतनाथ आत्मज श्री मोडनाथ रावल आयु वयस्क निवासी–बागजणा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–––वादी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– विपक्षी।

वादपत्र बाबत घौषणा एवं तरमीम दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 48 राज0 काश्तकारी अधिनियम

एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी।
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता विपक्षी।

:: **निर्णय** :: दिनांक–03/02/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने धारा 88,48 आर.टि.एक्ट एवं 129,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 536 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 781/495 रकबा 03 बीघा भूमि स्थित है। उक्त दोनो वादी की आराजी एक ही चक के रूप मे वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे चली आ रही है व मौके पर वादी की भूमि के बीच मे कोई रास्ता विद्यमान नही है। वादी द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर 2018 को पटवार हल्का से राजस्व नक्शा की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया कि रास्ता आराजी नम्बर 494 जो रास्ता आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड के सहारे होकर विद्यमान है, लेकिन राजस्व नक्शे मे आराजी नम्बर 781/495 व 536 के बीच मे तरमीम है। रास्ता आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड पर दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त रास्ता आराजी नम्बर 494 जो कि वादी की आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड के सहारे से होकर निकल रहा है, राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार तरमीम करावे या भूमि एक्सचेंज कर जिस जगह पर रास्ता विद्यमान है, उसी जगह पर दर्ज करावे व वादी की आराजी [illegible]1/495 मे रास्ता निकल रहा है, उस भूमि को वादी राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के [illegible] वादी की आराजी नम्बर 536 व 781/495 के बीच मे रास्ते की आराजी [illegible] 494 [illegible] के नाम पर दर्ज करायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

लेकिन प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2019 दो हजार उन्नीस को कहने पर इंकार कर दिया व सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। इस कारण से वादी को यह वाद पत्र पेश करने की नौबत आई।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया व वादी की आराजी दर्ज होना स्वीकार किया गया व मौके अनुसार प्रचलित रास्ते अनुसार तरमीम की जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया व उनके द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति नक्शे को भी रेकार्ड पर लिया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी की आराजी नम्बर 536, 781/495 के बीच मे दर्ज रास्ते आराजी नम्बर 494 को आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड पर तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली में प्रतिवादी के जवाब एवं मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा प्रतिवादी के अवलोकन उपरांत पाया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 536 एवं 781/495 के बीच मे रास्ता आराजी नम्बर 494 दर्ज है किन्तु मौके के अनुसार रास्ता आ0नं0 781/495 के पश्चिमी साइड से होकर आ0नं0 781/495 के उत्तरी किनारे होकर आगे पूर्ववत ही नक्शा अनुसार है। मौके के अनुसार प्रचलित रास्ते को नक्शें में दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेश में दर्ज रास्ता आ0नं0 474 को वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाने पर रास्ता के रकबा एवं खातेदारी की खातेदारी भूमि में कोई अन्तर नहीं आयेगा। नक्शे में दर्ज रास्ते को मौके पर बने रास्ते अनुसार दर्ज किया जाने में किसी को कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वादी की आ0नं0 781/495 एवं आ0नं0 536 के मध्य स्थित रास्ता आ0नं0 494 में मौके के रास्ता नहीं होने से मौके के अनुसार प्रस्तावित नक्शा वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड़ पर तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी की आराजी नम्बर 536, 781/495 के बीच मे दर्ज रास्ता आराजी नम्बर 494 की रिकार्डेड नक्शा तरमीम को, मध्य से हटाया जाकर आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड़ पर मौका स्थिति के नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे। तदनसुार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:03 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 5/2019 प्रार्थनापत्र

सांवतनाथ आत्मज श्री मोडनाथ रावल आयु वयस्क निवासी–बागजणा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)। ———वादी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——— विपक्षी।

वादपत्र बाबत घोषणा एवं तरमीम दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–48 राज0 काश्तकारी अधिनियम

एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री मुकेश जैन मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 एवं 48 रा0 टि0 एक्ट व धारा 129,131, 136 राज0 भू0 राज0 अधि0 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में वादी की आराजी नम्बर 536, 781/495 के बीच मे दर्ज रास्ता आराजी नम्बर 494 की रिकार्डेड नक्शा तरमीम को, मध्य से हटाया जाकर आराजी नम्बर 781/495 की पश्चिमी मेड़ पर मौका स्थिति के नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 03.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:13:03 IST
Reason: SelfAttested